पत्रांक–यो0मो0–4(विविध)07–244 / 2016– 168

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

योगेश्वरधारी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव(अभि0)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार, ~~पटना~~

सभी अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार, ~~पटना~~

पटना, दिनांक– 15/3/17

विषयः कोशी बॉध कटान न्यायिक जाँच आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु गठित तकनीकी समिति से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

कोशी बॉध कटान न्यायिक जाँच आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 585 दिनांक 14.7.2014 के माध्यम से अभियंता प्रमुख (उत्तर) की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति के अनुशंसाओं पर विभागीय स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं :–

1. कोशी उच्चस्तरीय समिति (KHLC) तथा इसकी उपसमिति के द्वारा कटाव निरोधक कार्य के कार्यान्वयन अवधि में क्रमशः न्यूनतम दो एवं चार बार स्थल निरीक्षण अनिवार्य होगा। समिति / उपसमिति के निरीक्षणोपरान्त तीन दिनों के अन्दर प्रतिवेदन विभाग को दी जाएगी एवं विभागीय स्तर पर अनुवर्त्ती कार्रवाई पॉच दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जायगा।

विभाग द्वारा गठित अनुवीक्षण दल द्वारा बाढ़ पंचाग (Flood Calender) अवधि में विभागीय अनुदेशें का अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा और निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण समाप्ति के दो दिनों के अन्दर समर्पित किया जाएगा।

2. कोशी उच्चस्तरीय समिति (KHLC), इसकी उपसमिति तथा अनुवीक्षण दल से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड (Upload) किया जायेगा।

3. स्वीकृत कटाव निरोधक योजना में कार्यान्वयन के दौरान यदि कोई बदलाव किसी भी स्तर पर किया जाता है, तो पूर्ण कारणों का उल्लेख कार्य स्थल पंजी में दर्ज करते हुए सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जायगी ।

4. कोशी परियोजना से संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंताओं के पदस्थापन हेतु विभागीय स्तर पर एक त्रि–सदस्यीय सलाहकार समिति के गठन की जायेगी जिसमें अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन एवं मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे । यह समिति कोशी परियोजनान्तर्गत मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के पदस्थापन हेतु अपनी अनुशंसा विभाग को समर्पित करेंगी ।

5. वर्त्तमान में कोशी परियोजना में चेतावनी निर्गत करने की लागू व्यवस्था के अतिरिक्त कोशी बराज पर 1.5 लाख क्यूसेक से उपर जलश्राव होने पर इसकी सूचना (SMS alert द्वारा) संबंधित कार्यपालक अभियंता के स्तर से अविलम्ब जिला पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी / अँचलाधिकारी के अलावे स्थानीय जन प्रतिनिधि यथा–सांसद / विधायक / जिला परिषद, अध्यक्ष / प्रखंड / मुखिया को भेजने की कार्रवाई की जायेगी।

किसी स्थल विशेष पर कटाव की तीव्रता के मद्देनजर स्थल के अति संवेदनशीलता के बारे में संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से अपने अधीक्षण अभियंता / मुख्य अभियंता की सहमति प्राप्त कर इसकी सूचना (SMS alert द्वारा) संबंधित कार्यपालक अभियंता के स्तर से अविलम्ब संबंधित जिला पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी / अँचलाधिकारी के

अलावे स्थानीय जन प्रतिनिधि यथा सांसद / विधायक / जिला परिषद अध्यक्ष / प्रखंड मुखिया / मुखिया को भेजने की कार्रवाई की जायेगी ।

6. संवेदक द्वारा समय सीमा के अन्दर गुणवत्ता के साथ कार्य सम्पन्न कराये जाने की स्थिति में SBD के तहत प्रावधानित Clause of Contract की कंडिका 2A का अनुपालन प्रभावी ढ़ंग से किया जाय। साथ ही SBD में किये गये प्रावधानों को प्रभावी ढ़ंग से लागू किया जाय।

7. तटबंध के चिन्हित अति संवेदनशील आक्राम्य स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का भंडारण की कार्रवाई हर वर्ष 15 जून से पूर्व करा ली जाय।

8. बाढ़ सुरक्षात्मक तटवंध के टूटान/कटान की स्थिति में दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित करने एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण संबंधित बाढ़ परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता के तकनीकी प्रतिवेदन एवं संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/आरक्षी उप महानिरीक्षक के प्रशासनिक प्रतिवेदन के आधार पर की जायेगी।

9. वीरपुर में स्थापित की जा रही संस्थान Centre of Excellence में कटाव निरोधक कार्य/बाढ़ संधर्षात्मक कार्यो के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ताकि बाढ़ कार्य में संलग्न विभागीय अभियंताओं को अद्यतन तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो सके। देश के अंदर बाढ़ प्रभावित प्रदेशों एवं विदेशों में भी कटाव निरोधक/बाढ़ संधर्षात्मक कार्यो का स्थल निरीक्षण कराये जाने की आवश्यकता है, जिससे कार्य में संलग्न अभियंताओं का तकनीकी ज्ञानार्जन हो सके। इस तरह के आयोजन की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग ॲचल पटना की होगी।

10. कटाव निरोधक/बाढ़ संधर्षात्मक कार्यो में सराहनीय कार्य संपादित करने वाले अभियंताओं का नाम दक्ष/अनुभवी अभियंताओं की सूची तैयार किया जाय एवं इन अभियंताओं का पदस्थापन बाढ़ कार्य से संबंधित संवेदनशील स्थानों पर किये जाने पर विचार किया जाय। उक्त सूची को तैयार करने का कार्य विभागीय समिति के द्वारा किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा :–

(i)	अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण	–	अध्यक्ष
(ii)	अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन	–	सदस्य
(iii)	अभियंता प्रमुख, मुख्यालय	–	सदस्य
(iv)	मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग	–	सदस्य
(v)	संयुक्त सचिव (प्रबंधन)	–	सदस्य – सचिव

11. कटाव निरोधक/बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो तथा तटबंधों के संवेदनशील/आक्राम्य स्थलों का वर्षवार विवरणी बाढ़ प्रक्षेत्र के सभी मुख्य अभियंताओं द्वारा तैयार कर FMISC पटना को भेजा जाय जहाँ समेकित रूप से Data Base तैयार हो। बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग ॲचल द्वारा प्रकाशित वर्षवार बाढ़ प्रतिवेदन को अत्यधिक व्यापक बनाये जाने की आवश्यकता है। इन बाढ़ प्रतिवेदनों की Soft Copy तैयार कर Data Base बनाने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई FMISC द्वारा की जायेगी।

12. E- Governance के अन्तर्गत बाढ़ संबंधी सभी कार्यो को कराये जाने हेतु एक Software परामर्शी के माध्यम से विकसित करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई FMISC द्वारा की जायेगी, जिसके फलस्वरूप बाढ़ संबंधी सभी कार्यो हेतु निर्धारित प्रपत्र को Online किया जा सके।

13. बाढ़ हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जो वर्ष 2013 से लागू है। इसमें सभी स्तर के पदाधिकारियों के स्थलों के निरीक्षण, भ्रमण संबंधी बाढ़ पंचाग में तिथि एवं कार्यक्रम निर्धारित है, जिसका अक्षरशः अनुपालन विभागीय अभियंताओं द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

14. बिहार के सभी नदियों पर Hydro- Meteorogical Slation की स्थापना कर वर्षवार Data Bank तैयार करने की सभी आवश्यक कार्रवाई FMISC के द्वारा किये जाने की आवश्यकता है ।

15. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों को ऊँचे स्थान पर आवासन हेतु रेज्ड प्लेटफार्म का निर्माण करते हुए उसे All Weather Road से जोड़ने की आवश्यकता है जिससे मानव/पशु बाढ अवधि में सुरक्षित रह सकें । बाढ़ प्रक्षेत्र के सभी मुख्य अभियंताओं द्वारा ऐसी योजना तैयार कर विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

16. जिला प्रशासन की मदद से सभी तटबंधों पर स्थित अतिक्रमण को अविलम्ब मुक्त कराये जाने की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु संबंधित कार्यपालक अभियन्ता के द्वारा जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए हल कराये जाने हेतु सतत् प्रयास करते हुए अतिक्रमण की समस्या का समाधान किया जाए।

17. पुलिस थाने में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडलों द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी की एक प्रति काण्ड संख्या सहित त्वरित कार्रवाई करने हेतु मुख्यालय/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

18. कोशी, गंडक आदि नदियों के संबंध में भारत–नेपाल संबंध सुदृढ़ रखने हेतु निम्नांकित समितियाँ गठित हैं। इन समितियों की ससमय बैठक आयोजित करने हेतु विभागीय स्तर पर आवश्यक पहल किया जाना अपेक्षित है।

i)	JMCWR	(Joint Ministerial Commission of Water Resources)
ii)	JCWR	(Joint Committee of Water Resources)
iii)	JCKGP	(Joint Committee of Kosi & Gandak Project)
iv)	JCIFM	(Joint Committee of Inundation & Flood Management)
v)	JSTC	(Joint Standing Technical Committee)
vi)	JTE	(Joint Technical Committee)

इस आदेश पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
15.03.17
(योगेश्वरधारी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

पत्रांकः–यो0मो0–4(विविध)07–244 / 2016– 168 पटना, दिनांक– 15/3/17

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15.03.17
(योगेश्वरधारी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

पत्रांकः –यो0मो0–4(विविध)07–244 / 2016– 168 पटना, दिनांक– 15/3/17

प्रतिलिपि सभी अभियंता, प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / निदेशक वाल्मी, फुलवारी शरीफ, पटना / सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास / निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सहायता सुधार केन्द्र, अनिसाबाद, पटना / सभी उप सचिव, (काडा सहित) / सभी अवर सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस पत्र की प्रति को अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

15.03.17
(योगेश्वरधारी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

पत्रांकः–यो0मो0–4(विविध)07–244 / 2016– 168 पटना, दिनांक– 15/3/17

प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग ॲचल–1, पटना, प्रभारी कम्प्युटर कोषांग से अनुरोध है कि इस पत्र को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करेंगे ।

15.03.17
(योगेश्वरधारी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)